न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 234/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सरोज मीणा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स गोपाल पवित्र भोजनालय, स्टेशन रोड, सांगानेर।
2. श्री हरे राम पुत्र श्री शिव बरन, निवासी स्टेशन रोड सांगानेर ढाबा मालिक।
3. श्रीमती बिन्दु पत्नि श्री हरे राम निवासी स्टेशन रोड सांगानेर जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 23.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर प्रथम सरोज मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 19.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग की जांच हेतु मैसर्स गोपाल पवित्र भोजनालय पंहुचे। मौके पर अप्रार्थीगण उपस्थित मिले जिन्होने उक्त स्थल किराये पर लिया हुआ व मालिक श्री राजाराम, मुहाना मण्डी को बताया। दौराने जांच 8 घरेलू सिलेण्डर(7एचपीसी+1बीपीसी) मय 84.500 किग्रा. एलपीजी, 3 छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर, 3 पीतल की बांसुरी व 1 लोहे की भट्टी रखी पाई गयी जिन्हें घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपभोग करने व गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाना प्रतीत होने पर जब्त किया गया। मौके पर उपस्थित फर्म मालिक ने इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही गैस कनेक्शन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस पर पुलिस थाना मालपुरा गेट की ओर से रिपोर्ट अंकित की गई है कि उक्त पते पर भोजनालय 3 वर्ष पूर्व ही बन्द हो चुका है। ऐसे में नये पते की जानकारी भी नहीं मिल सकी है तथा नोटिस तामील कराना संभव नहीं है। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही आज तक जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान भी बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 23.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 19.04.2018 को जब्त घरेलू सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से संबंधित दस्तावेज मौके पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी मौके पर व आज तक नहीं दिया गया। अप्रार्थीगण अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके से अप्रार्थी संख्या 2 भाग गया। इससे भी अवैध कारोबार की पुष्टि होती है। दौराने जांच प्रतिष्ठान से बडे घरेलू गैस सिलेण्डर, छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर व पीतल की बांसुरी पाया जाने से घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध वाणिज्यिक उपयोग व गैस रिफिलिंग किया जाना सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान 8 घरेलू सिलेण्डर(7एचपीसी+1बीपीसी) मय 84.500 किग्रा. एलपीजी, 3 छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर, 3 पीतल की बांसुरी व 1 लोहे की भट्टी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।